संख्या 1887/आठ–4–2007–137एन/04

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   लखनऊ विकास प्राधिकरण
   लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2007

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में निर्गत शासनादेशों में संशोधन/सरलीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1642/8–4–06–137एन/2004, दिनांक 04.08.06 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा नजूल भूमि पर अनाधिकृत रूप से अविकसित गरीब व्यक्तियों के अधिकतम् 100 वर्गमीटर तक के आवासीय कब्जों को पट्‌टा देकर विनियमित किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 3082/9–आ–4–95–628एन/95, दिनांक 01 जनवरी, 1996 एवं शासनादेश संख्या–2873/9–आ'–4–02–152एन/2000 टीसी, दिनांक 10.12.02 के प्रस्तर–4 की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है, और वे प्रभावी हैं। कृपया तद्‌नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव